भारत सरकार

परमाणु ऊर्जा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2682

जिसका उत्तर दिनांक 04.12.2019 को दिया जाना है

परमाणु ऊर्जा संयंत्रों से विद्युत आबंटन

2682. श्री ज्योतिर्मय सिंह महतो :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परमाणु ऊर्जा संयंत्रों द्वारा उत्पादित बिजली के आबंटन के लिए कोई नीति बनाई गई है/दिशा-निर्देश निर्धारित किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) परमाणु ऊर्जा द्वारा उत्पादित बिजली और ऊर्जा के अन्य स्रोतों से उत्पादित बिजली की तुलनात्मक लागत कितनी है;

(घ) क्या सरकार भविष्य में परमाणु ऊर्जा द्वारा विद्युत के उत्पादन को बढ़ावा देने की योजना बना रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधान मंत्री कार्यालय (डॉ. जितेन्द्र सिंह) :

(क) तथा (ख) नाभिकीय विद्युत संयंत्रों द्वारा उत्पादित बिजली, ऊर्जा मंत्रालय (एमओपी) द्वारा, क्षेत्र के विभिन्न लाभार्थी राज्यों/संघ राज्यों को आबंटित की जाती है । ऊर्जा मंत्रालय के विद्यमान दिशानिर्देशों के अनुसार, 50% बिजली 'गृह' राज्य को आबंटित की जाती है, 15% बिजली आबंटित नहीं की जाती, ताकि उसे तत्काल/समग्र आवश्यकता की पूर्ति के लिए सरकार आबंटित कर सके तथा बची हुई 35% बिजली अन्य लाभार्थियों को ('गृह' राज्य को छोड़कर) आबंटित की जानी होती है । यह आबंटन करते समय केंद्रीय योजना सहायता पैटर्न तथा पिछले पाँच वर्षों के दौरान बिजली की खपत, दोनों घटकों को समान महत्व दिया जाता है ।

(ग) नाभिकीय ऊर्जा द्वारा उत्पादित बिजली का प्रशुल्क (टैरिफ), उस क्षेत्र में स्थित, कोयला आधारित तापीय बिजली उत्पादित करने वाली समकालीन, परम्परागत बेस लोड बिजली उत्पादन यूनिटों से तुलनीय है ।

(घ) जी, हाँ ।

(ङ) नाभिकीय विद्युत उत्पादन बढ़ाने के लिए, एक बड़े नाभिकीय ऊर्जा विस्तार कार्यक्रम का कार्यान्वयन किया जा रहा है । वर्तमान में संस्थापित नाभिकीय ऊर्जा क्षमता 6780 MW है, जो, निर्माणाधीन परियोजनाओं और मंजूरी प्राप्त परियोजनाओं के क्रमिक रूप से पूरा होने पर 22480 MW तक पहुंचने की आशा है ।

*****